# फर्द अहकाम

## अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

अखेन्द्रपाल सिंह **बनाम** गिरीश चन्द वगे0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र रिव्यू नम्बर 17 / 2025 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.03.26 | योग्य अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अखेन्द्रपाल सिंह जाति जादौं ठाकुर निवासी ग्रांम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर ने एक प्रार्थना पत्र रिव्यू अंतर्गत आदेश 47 जा. दी. बाबत निर्णय दिनांक 12.02.2025 मुकदमा रेफरेन्स नम्बर 01 / 2022 उनवानी गिरीश बनाम हुकमसिंह वगे0 पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमान न्यायालय द्वारा रेफरेन्स स्वीकार करते हुये गत आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 10 विस्वा ग्रांम झीलरा तहसील भरतपुर बिना किसी आवंटन पट्टा / नियमन आदेश मंगाये बिना ही नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 पर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश को बिना किसी सक्षम आज्ञा आवंटन / नियमन के करनसिह पुत्र किरोडी जाति ठाकुर के हक में स्वीकार किये गये नामान्तकरण को निरस्त करने की अनुशंषा करते हुये प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रेषित किया गया है। श्रीमान न्यायलय के निर्णय में फेस ऑफ दा रिकार्ड के आधार पर ही त्रुटि जाहिर होती है क्यों कि नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.973 जिसके आधार पर करन सिह को गैर खातेदार दर्ज किया गया था। न्यायालय श्रीमान ने निर्णय से पूर्व आवंटन / पट्टा / नियमन के सम्बन्ध में रिकार्ड तलब किये बिना ही अपना मत किस आधार पर दिया गया है। पक्षकारान के मध्य नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। नामान्तकरण संख्या 170 में दर्ज आराजी धारा 16 आर.टी.ए. से प्रभावित नहीं है इस लिये निर्णय गलत किया गया है। प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 व मुकदाम उनवानी गिरीश बनाम हुकमसिंह रेफरेन्स संख्या 1 / 2022 अन्तर्गत धारा 82 व 9 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जावे व रेफरेन्स खारिज किया जावे।<br><br>प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई एवं कार्यालय से मूल रेफरेन्स पत्रावली नम्बर 01 / 2022 उनवानी गिरीश बनाम हुकमसिंह वगे0 निर्णय दिनांक 12.02.2025 तलब कर पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। | |

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रकरण रेफरेन्स संख्या 01/2022 उनवानी गिरीश बनाम हुकमसिंह वगे0 में बिना रिकार्ड तलब किये ही नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 पर गैर खातेदार दर्ज इन्द्रराज को निरस्त करने की अनुशंषा करते हुये प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रेषित किया गया है। श्रीमान न्यायालय के निर्णय में फेस ऑफ दा रिकार्ड के आधार पर ही त्रुटि जाहिर होती है क्यों कि नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 जिसके आधार पर करन सिह को गैर खातेदार दर्ज किया गया था। न्यायालय श्रीमान ने निर्णय से पूर्व आवंटन /पट्टा/नियमन के सम्बन्ध में रिकार्ड तलब किये बिना ही अपना मत किस आधार पर दिया है निर्णय में इसका कोई उल्लेख नहीं है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी बताया कि पक्षकारान के मध्य नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। नामान्तकरण संख्या 170 में दर्ज आराजी धारा 16 आर.टी.ए. से प्रभावित नहीं है इसलिये निर्णय गलत किया गया है। प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर रिव्यू अधीन निर्णय दिनांक 12.02.2025 को निरस्त किया जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि रिव्यू का सीमित क्षेत्र है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कथन न्यायालय श्रीमान ने रेफरेन्स संख्या 01/2022 उनवानी गिरीश बनाम हुकमसिंह वगे0 में दिनांक 12.02.2025 को विधिवत आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि रेफरेन्स में श्रीमान द्वारा अपनी ओपीनियन विश्लेषण करते हुये रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रेषित किया गया है। प्रेषित रेफरेन्स में निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा लिया जाना है। श्रीमान न्यायालय की रेफरेन्स में दी गई ओपीनीयन निर्णय की परिभाषा में नहीं आती है। कोई भी रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णय के विरुद्ध ही मान्य होता है, यहाँ रेफरेन्स में अभी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय लिया जाना है। प्रार्थी0 रेफरेन्स में आवश्यक अप्रार्थीगण दर्ज है उन्हें अपने हक में रिकार्ड पट्टा/नियमन आदेश वगे0 पेश करने चाहिये थे, परन्तु इन्होने कोई दस्तावेज श्रीमान न्यायालय में वक्त सुनवाई रेफरेन्स पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावलियों का गहन अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र रिव्यू का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि प्रकरण रेफरेन्स संख्या 01/022 उनवानी गिरीश बनाम हुकमसिंह वगे0 में बिना रिकार्ड तलब किये ही करनसिंह के हक में किये गये पट्टा को तलब किये बिना किसी आवंटन पट्टा/नियमन आदेश के मानते हुये नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 16.12.1973 पर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश को निरस्त

करने की अनुसंषा करते हुये प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रेषित किया गया है। न्यायालय द्वारा आवंटन से सम्बन्धित आवंटन पट्टा/नियमन रिकार्ड तलब नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नही रहता है क्यों कि प्रकरण रेफरेन्स में प्रार्थी अन्य पक्षकारान के साथ आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी न.3 पर दर्ज था, परन्तु प्रार्थी की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अपना कोई जबाब पेश नहीं किया गया और नाहीं अपने हक में हुये आवंटन के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश/पट्टा/नियमन आदेश वगे0 पेश नहीं किया गया है। रिव्यू प्रार्थना–पत्र के साथ भी अपने कथनों के समर्थन में भी कोई साक्ष्य दस्तावेजी आवंटन आदेश/पट्टा/नियमन आदेश वगे0 पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी का दायित्व था कि वे अपने हक हकूकों के समर्थन में आवश्यक राजस्व रिकार्ड पेश करते परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना बिना कोई साक्ष्य सबूत के पेश किया है जो स्वीकार योग्य नहीं रहता है। जैसा कि A.I.R 1991 N.O.C.49 (Andh.Pra.)(D.B.) में प्रतिपादित किया गया है।

".....A review is permissible only in case of an error of law apparent on the face of the record or discovery of new and important evidence which after exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by the party when the decree or the order was passed or for any other sufficient reason. It is not permissible to review the appellate judgment on the basis of materials known to the petitioners and there was no explanation as to why they were not produced at the appellate stage itself: A.I.R 1991 N.O.C.49 (Andh.Pra.)(D.B.)

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर द्वारा रेफरेन्स में दिया गया अन्तिम निर्णय नहीं है। जिला कलेक्टर अपनी ओपनीयन देते हुये रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित करता है, इस लिये रेफरेन्स में दीगई ओपनीयन को अन्तिम निर्णय नहीं माना जा सकता है। जैसा कि RRD1994 page 193 **में प्रतिपादित किया है –**

Collector has no jurisdiction to pass final orders,but he should refer the case alongwith his opinion to the Board of Revenue for passeing necessary orders.

**RRD1983 page 759 में प्रतिपादित किया है :–**

Order relating to Reference ,When not appealable – An Order by which a reference is made or by which the Collector declines to make a refernce is only expression of opinion against which neither appeal nor a revision lies.

इस प्रकार रिव्यू आधीन पारित निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि "error apparent on the face of record" नहीं पाई गई है।

अस्तु उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी नजरसानी (रिव्यू) खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावाली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर